

30.08.18

वकील लक्ष्मी या स्वयं अपी. उपस्थित नहीं है। रेल्वी.
उप-है। अपी. का बार-बार आवाजें दिलाई
गई। अपी. की आर से कोई उपस्थित नहीं आया।
अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज
की जाती है। पत्रावली फ़ैसल मुबार होकर बांड
तकमील जाब्ता वालिल दफ़तर है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर